न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 77 / 2024	2024 / 131	28.11.2024	23.04.2025

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजरथान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री जितेन्द्र सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल, निवासी 89, स्कीम नं0 2, अलवर राज0।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :—

1. प्रवर्तन अधिकारी

—विभागीय प्रतिनिधि।

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 22.10.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री जितेन्द्र सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल, निवासी 89, स्कीम नं० 2, अलवर, तहसील अलवर की बसंत मिष्ठान भण्डार, भगत सिंह सर्किल, अलवर (राज०) स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री जितेन्द्र सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल, निवासी 89, स्कीम नं0 2, 23ण्अलवर, तहसील अलवर उपस्थित मिले। श्री जितेन्द्र सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल की दुकान पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया।

श्री जितेन्द्र सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल द्वारा वक्त जांच घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री जितेन्द्र सैनी के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को मैं० मोहन गैस, अलवर के प्रतिनिधि भोलू पुत्र मन्नू खां, निवासी फेमिली लाईन, अलवर को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी / अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद रजि0 तलबी / तामील के अनुपस्थित।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर श्री जितेन्द्र सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल की दुकान पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। वक्त जांच मौके पर श्री जितेन्द्र सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री जितेन्द्र सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग एवं दुरूपयोग करना पाया गया है, जो कि जोकि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)